न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय लोकेन्द्र बनाम मूर्तिदेवी वगै0 किस्म मुकदमा: 212 आर0टी0एक्ट निसल नंबर: 83/2022	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
0.01.2023	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 539/0.31 वाके ग्राम इमलारी तहसील सीकरी प्रार्थी एवं उसके ताऊ रामकिशन के कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जिसमें से गैर सायल संख्या 01 ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा सायल के ताऊ के 1/2 हिस्सा को खरीद कर लिया था सायल अपने हिस्से पर काबिज है यह आराजी सायल के ताऊ के समय से ही मनबट के आधार पर बटी हुई थी जिसमें सायल का हिस्सा वतरफ पश्चिम में था जिस पर सायल आज भी काबिज है परन्तु गैर सायल संख्या 01 ने लटठ व ताकत के बल पर सायल के हिस्से की आराजी में करीवन 15 फीट अन्दर डोल बांध दी है, जब सायल ने गैरसायलान से इस बावत शिकायत की और तहसील नगर चलकर बटवारा करने को कहा व पैमाइस कर बराबर–बराबर हिस्सा करने को कहा तो वह मुकर गई उसके मना करने पर सायल द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी मुत0 का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी के कुर्रे बनाये जाकर व पैमाइश कर मौटस एण्ड बटवारा मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड कर अलग खाता व अलग लगान कायम की जावे। दिनांक 31.10.2018 को गैर सायलान ने सायल को धमकी दी कि हम तुम्हारी आराजी पर कब्जा कायम करके रहेंगे, यदि गैर सायलान अपनी उक्त मंशा में सफल हो गये तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद या किसी अन्य तरह से नहीं हो सकेगी अतः गैर सायलान को ताफैसला मुकदमा आराजी मुत0 को रहन वय मुंतकिल नहीं करने सायल को जोतने बोने से नहीं रोकने, सायल को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करने, एवं मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पावंद किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल संख्या 01 व 02 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 20.08.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में गत तारीख पेशी को वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मेरे प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ही प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जावे एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2018 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निस्तारण तक संपुष्ट किया जावे। 20/1/23	

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के अभिभाषक के कथनों के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर आराजी खसरा नंबर 539/0.31 बाके ग्राम इमलारी तहसील सीकरी सायल एवं गैर सायल संख्या 01 की सहकाश्तकारी की आराजी है अतः दिनांक 02.11.2018 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की पुष्टि मूल वाद के निस्तारण तक की जाती है तथा उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे कब्जे काश्त में मदाख्लत मजाहमत नहीं करें। निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

30/1/23

Scanned with CamScanner